पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 206/2017 1090 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
बिहार शहरी विकास अभिकरण,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
नवादा।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, नवादा।

पटना, दिनांक– 30/8/18

विषयः– नगर परिषद, नवादा अन्तर्गत पार नवादा कमालपुर से मोगलाखार जल्लापर होते हुए मो0 अफजल के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–233 दिनांक–24.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयांकित योजना का प्राक्कलन तकनीकी स्वीकृति एवं परिमाण विपत्र अनुमोदन हेतु समर्पित किया गया है। जिसकी स्थिति निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग (₹लाख में)	तकनीकी स्वीकृति की राशि (₹लाख में)	अनुमोदित परिमाण विपत्र की राशि (₹ में)
1.	नवादा नगर परिषद अन्तर्गत पार नवादा कमालपुर से मोगलाखार जल्लापर होते हुए मो0 अफजल के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	202.056 (सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक–128 दिनांक–07.03.2018)	199.525	1,98,03,271/–-

अतः उक्त योजना के तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित परिमाण विपत्र की एक–एक प्रति प्रावैधिक टिप्पणी के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

विश्वासभाजन

अनु0:– यथोक्त।

30/8/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार पटना।

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग
प्रावैद्यिक टिप्पणी

1 **योजना का नाम** :— नवादा नगर परिषद अन्तर्गत पार नवादा कमालपुर से मोगलाखार जल्लापर होते हुए मो0 अफजल के घर तक आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।

2 **प्रशासनिक स्वीकृति राशि एवं प्रसंग** :— 2,02,05,600/—(दो करोड़ दो लाख पाँच हजार छः सौ) रूपये मात्र। सरकार के विशेष सचिव का पत्रांक—128 दिनांक—07.03.2018

3 **तकनीकी स्वीकृति की राशिः**— 1,99,52,500/—(एक करोड़ निनानवे लाख बावन हजार पाँच सौ) रूपये मात्र।

4 **(i)** कार्य स्वीकृत प्राक्कलन, निरूपण, आरेखन एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।

(ii) प्राक्कलन की स्वीकृति दर की स्वीकृति नहीं माना जाय।

(iii) कार्य के आरंभ करने के पहले या बाद में यदि किसी प्रकार सुधार अथवा Modification की आवश्यकता महसुस हो तो तदनुरूप प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के पास बिना विलम्ब के समर्पित करें।

(iv) किसी प्रकार का शेष कार्य यदि हो तो तत्संबधी प्राक्कलन अधोहस्ताक्षरी के पास समर्पित करें।

(v) परिमाण विपत्र में भाषा, मात्रा एवं दर का मिलान स्वीकृत प्राक्कलन एवं अनुसूचित दर से कर लेगें।

(vi) नाला निर्माण में नाला तल का स्लोप (Gradient) भली भाँति मेनटेन किया जाय, ताकि जल निकासी सुगमतापूर्वक हो सके।

(vii) प्रगति प्रतिवेदन मासिक समर्पित करेगें।

(viii) गुणवता की जाँच हेतु कार्य स्थल पर व्यवस्था रखेंगे ताकि समय—समय पर निरीक्षण करने वाले पदाधिकारी आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर सकें।

(ix) कार्यपालक अभियंता स्वयं प्रत्येक आइटम आदि की जाँच कर लेगें तथा त्रुटि पाये जाने पर इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित करेंगे।

(x) मिट्टी कार्य की जाँच हेतु स्थल के समीप TBM बना कर Level अंकित कर देगें।

(xi) माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा CWJC सं0-14831/2009 में पारित आदेश के आलोक में निविदित पथ का स्तर (!evel) सटे मकानों के पीलींथ से नीचे रखना सुनिश्चित करेगें।

(xii) RCC कार्य में लगने वाले लौह छड़ (Reinforcement), Tata/RINL Make का होना चाहिए।

(xiii) प्राक्कलन में दर्शाये गये क्योरी से ही लाये गये स्टोन चिप्स का ही उपयोग करना सुनिश्चित करें।

30/8/18

अधीक्षण अभियंता
बिहार शहरी विकास अभिकरण
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटनां

E:\V N File 2014\Nawada\Nawada T.S.docx